

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीकानेर  
(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट)  
कैम्प कोर्ट का स्थान :- राजसि

**राजीनामा**

सेवामें,

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,,

दिनांक 12/11/2021

श्री हरजी / प्रमाणीण कोश बनाम श्री धना / कात्यु समोह कोश  
प्रकरण संख्या :- ११/१९ अन्तर्गत धारा 188, 209 RTA नि. राफडी

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री हरजी पिता पुतल मीणा कोश का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

कि Camp प्रकड राजसि में सीमा ज्ञान रिपोर्ट पुस्तक की सभी पक्षकारों ने उपस्थित होकर सीमाज्ञान रिपोर्ट पर सन्तुष्टि जारि की एवं किसी प्रकार का विवाद खोष नहीं होने स्वीकार किया। अतः वाद इली स्त पर समाप्त हो निस्तारित किया गया।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष 1. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. ....

२. हरजी

2. धना/कात्यु

3. कात्यु

3. ....

4. कात्यु

4. ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .....

(वादी पक्ष) नाम .....

(प्रतिवादी पक्ष) नाम .....

प्रार्थी/वादी ..... एवं अप्रार्थी/ प्रतिवादी .....

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हसबख्याहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

(ह0 सदस्य)

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर